रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072022-237158
CG-DL-E-07072022-237158

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349]	नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2022/आषाढ़ 15, 1944
No. 349]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2022/ASHADHA 15, 1944

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2022

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2022

आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.090.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 194 की उपधारा (2) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: —

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2016 में, अनुसूची I के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:—

"अनुसूची-I

(विनियम 4 देखिए)

पदनाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतनमान**	**चयन पद या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	**क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. कार्यपालक निदेशक	04 (2022)	लागू नहीं होता	120500-3500(2)-127500 .(3) रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां, जिनमें से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जानी है :-**			**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति अस्तित्व में है तो उसकी संरचना**	**वे परिस्थितियों, जिनके अधीन भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है**
	प्रोन्नति	**निम्नलिखित से प्रतिनियुक्ति**			
		सरकार	**आर.बी.आई., बैंकों, वित्तीय संस्थान, विनियामक निकाय, कानूनी निकाय और अकादमी**		
(10)	(11क)	(11ख)	(11ग)	(12)	(13)
(i) प्रोन्नति द्वारा: 75 प्रतिशत, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अलापकालिक संविदा भी है) द्वारा; **(ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा:** 25 प्रतिशत	ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड च में तीन वर्ष सेवा की है।	(क)**आयु:** चालीस से पचपन वर्ष के बीच। (ख) अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सिविल सेवाओं के ऐसे समूह क अधिकारी, जिन्होंने कम से कम अठारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 (144200-218200 रु.) में नियमित पद धारण किए हुए हैं; **या** (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (123100-215900 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में छह वर्ष की सेवा कर ली है।	(क)**आयु:** चालीस से पचपन वर्ष के बीच। (ख) ऐसे अधिकारी, जिनके पास अधिकारी काडर में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव है, जिसमें से कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव विधि, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकरण या प्रशासन के क्षेत्र में होना चाहिए। **वांछनीय** **शैक्षिक अर्हता:** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि या वित्त या अर्थशास्त्र या लेखाकरण में विशेषज्ञता सहित कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या दिवाला या शोधन अक्षमता मुद्दों के ज्ञान सहित विधि या वित्त या अर्थशास्त्र या लेखाकरण में स्नातकोत्तर डिग्री	**विभागीय प्रोन्नति/चयन समिति (प्रोन्नति/ चयन के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (i) अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड – अध्यक्ष; (ii) पूर्णकालिक सदस्य, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड – सदस्य; (iii) संयुक्त सचिव या समतुल्य, कारपोरेट कार्य मंत्रालय – सदस्य; (iv) अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य	लागू नहीं होता

		वांछनीय: दिवाला या शोधन अक्षमता संबंधी मुद्दों के ज्ञान सहित विधि, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकरण या प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव ।			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.मुख्य महा प्रबंधक (ग्रेड च)	04* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	101900-3000(4)-113900. (5) रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11क)	(11ख)	(11ग)	(12)	(13)
(i)**प्रोन्नति द्वारा:** 75 प्रतिशत, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अलापकालिक संविदा भी है) द्वारा; (ii) **प्रतिनियुक्ति द्वारा:** 25 प्रतिशत	ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड ङ में तीन वर्ष सेवा की है	अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सिविल सेवाओं के ऐसे समूह क अधिकारी जिन्होंने (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (123100-215900 रु.) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है; **या** (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (78800-209200 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर ली है **वांछनीय:** दिवाला या शोधन अक्षमता संबंधी मुद्दों के ज्ञान सहित विधि, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकरण या प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव।	ऐसे अधिकारी, जिनके पास अधिकारी काडर में कम से कम सत्रह वर्ष का अनुभव है, जिसमें से कम से कम दस वर्ष का अनुभव विधि, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकरण या प्रशासन के क्षेत्र में होना चाहिए । **वांछनीय** **शैक्षिक अर्हता:** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि या वित्त या अर्थशास्त्र या लेखाकरण में विशेषज्ञता सहित कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या दिवाला या शोधन अक्षमता मुद्दों के ज्ञान सहित विधि या वित्त या अर्थशास्त्र या लेखाकरण में स्नातकोत्तर डिग्री	**विभागीय प्रोन्नति/चयन समिति (प्रोन्नति/ चयन के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे**:- (i)अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड - अध्यक्ष; (ii) पूर्णकालिक सदस्य, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड – सदस्य; (iii)संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय – सदस्य; (iv) अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. महा प्रबंधक (ग्रेड ङ)	08* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	72800-2250(1)-75050-2400(2)-79850-2500(3)-87350-3000(5)-102350. (12) रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11क)	(11ख)	(11ग)	(12)	(13)
(i)**प्रोन्नति द्वारा:** 75 प्रतिशत, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अलापकालिक संविदा भी है) द्वारा; (ii) **प्रतिनियुक्ति द्वारा:** 25 प्रतिशत	ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड घ में तीन वर्ष सेवा की है ।	अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सिविल सेवाओं के ऐसे समूह क अधिकारी - (i) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (123100-215900 रु.) में नियमित पद धारण किए हुए हैं; **या** (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (78800-209200 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर ली है **वांछनीय:** दिवाला या शोधन अक्षमता संबंधी मुद्दों के ज्ञान सहित विधि, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकरण या प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव।	ऐसे अधिकारी, जिनके पास अधिकारी काडर में कम से कम चौदह वर्ष का अनुभव है, जिसमें से कम से कम सात वर्ष का अनुभव विधि, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकरण या प्रशासन के क्षेत्र में होना चाहिए । **वांछनीय** **शैक्षिक अर्हता:** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान सेविधि या वित्त या अर्थशास्त्र या लेखाकरण में विशेषज्ञता सहित कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या दिवाला या शोधन अक्षमता मुद्दों के ज्ञान सहित विधि या वित्त या अर्थशास्त्र या लेखाकरण में स्नातकोत्तर डिग्री	**विभागीय प्रोन्नति/चयन समिति (प्रोन्नति/ चयन के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (i) अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड - अध्यक्ष; (ii) पूर्णकालिक सदस्य, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड – सदस्य; (iii) संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय – सदस्य; (iv) अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. उप महा प्रबंधक (ग्रेड घ)	04* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	68500-2150(2)-72800-2250(6)-86300. (9)रू.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11क)	(11ख)	(11ग)	(12)	(13)
(i)**प्रोन्नति द्वारा:** 75 प्रतिशत, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अलापकालिक संविदा भी है) द्वारा; (ii) **प्रतिनियुक्ति द्वारा:** 25 प्रतिशत	ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड ग में तीन वर्ष सेवा की है	अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सिविल सेवाओं के ऐसे समूह क अधिकारी जिन्होंने (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (78800-209200 रु.) में नियमित सेवा की है; **या** (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर ली है	ऐसे अधिकारी, जिनके पास अधिकारी काडर में कम से कम ग्यारह वर्ष का अनुभव है, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव विधि, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकरण या प्रशासन के क्षेत्र में होना चाहिए । **वांछनीय** **शैक्षिक अर्हता:** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि या वित्त या अर्थशास्त्र या लेखाकरण में विशेषज्ञता सहित कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या दिवाला या शोधन अक्षमता मुद्दों के ज्ञान सहित विधि या वित्त या अर्थशास्त्र	**विभागीय प्रोन्नति/चयन समिति (प्रोन्नति/ चयन के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (i) दो पूर्णकालिक सदस्य, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड – सदस्य; (ii) अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा	लागू नहीं होता

		वांछनीय: दिवाला या शोधन अक्षमता संबंधी मुद्दों के ज्ञान सहित विधि, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकरण या प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव ।	या लेखाकरण में स्नातकोत्तर डिग्री	नामनिर्दिष्ट दो बाहरी सदस्य/ विशेषज्ञ - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.सहायक महा प्रबंधक (ग्रेड ग)	08* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	49000-1750(3)-54250-1900(2)-58050-2000(4)-66050-द.रो.-2000(2)-70050-2150(1)-72200 (13)रू.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11क)	(11ख)	(11ग)	(12)	(13)
(i)**प्रोन्नति द्वारा:** 75 प्रतिशत, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अलापकालिक संविदा भी है) द्वारा; (ii) **प्रतिनियुक्ति द्वारा**: 25 प्रतिशत	ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड ख में तीन वर्ष सेवा की है	अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सिविल सेवाओं के ऐसे समूह क अधिकारी जिन्होंने (i) वेतन मैट्रिक्सि के स्तर 11 (67700-208700 रु.) में नियमित सेवा की है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा कर ली है **वांछनीय:** दिवाला या शोधन अक्षमता संबंधी मुद्दों के ज्ञान सहित विधि, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकरण या प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव ।	ऐसे अधिकारी, जिनके पास अधिकारी काडर में कम से कम आठ वर्ष का अनुभव है, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव विधि, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकरण या प्रशासन के क्षेत्र में होना चाहिए । **वांछनीय** **शैक्षिक अर्हता:** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि या वित्त या अर्थशास्त्र या लेखाकरण में विशेषज्ञता सहित कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या दिवाला या शोधन अक्षमता मुद्दों के ज्ञान सहित विधि या वित्त या अर्थशास्त्र या लेखाकरण में स्नातकोत्तर डिग्री	**विभागीय प्रोन्नति/चयन समिति (प्रोन्नति/चयन के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे**:- (i) दो पूर्णकालिक सदस्य, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड **– सदस्य;** (ii) अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट दो बाहरी सदस्य/ विशेषज्ञ - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.प्रबंधक (ग्रेड ख)	13* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	35150-1750(9)-50900-द.रो.-1750(2)-54400-2000(4)-62400 (16) रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11क)	(11ख)	(11ग)	(12)	(13)
(i)प्रोन्नति द्वारा: 75 प्रतिशत, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अलापकालिक संविदा भी है) द्वारा; **(ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा:** 25 प्रतिशत	ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड क में तीन वर्ष सेवा की है ।	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के ऐसे अधिकारी,- (i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर ली है; **या** (ii)जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर ली है । **वांछनीय:** दिवाला या शोधन अक्षमता संबंधी मुद्दों के ज्ञान सहित विधि, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकरण या प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव।	ऐसे अधिकारी, जिनके पास कनिष्ठ प्रबंध ग्रेड के अधिकारी काडर में कम से कम चार वर्ष का अनुभव है, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव विधि, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकरण या प्रशासन के क्षेत्र में होना चाहिए । **वांछनीय** **शैक्षिक अर्हता:** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि या वित्त या अर्थशास्त्र या लेखाकरण में विशेषज्ञता सहित कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या दिवाला या शोधन अक्षमता मुद्दों के ज्ञान सहित विधि या वित्त या अर्थशास्त्र या लेखाकरण में स्नातकोत्तर डिग्री	**विभागीय प्रोन्नति/चयन समिति (प्रोन्नति/ चयन के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे**:- (i) दो पूर्णकालिक सदस्य, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड – सदस्य; (ii) अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट दो बाहरी सदस्य/ विशेषज्ञ - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.सहायक प्रबंधक (ग्रेड क)	27* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	28150-1550(4)-34350-1750(7)-46600-द.रो.-1750(4)-53600-2000(1)-55600 (17)रू.	चयन	आयु: 18 से 30 वर्ष के बीच	**आवश्यक:** चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव या लागत प्रबंध लेखाकार या विधि में बैचलर डिग्री या वित्त सहित कारबार प्रशासन में मास्टर या अर्थशास्त्र में मास्टर या वाणिज्य में मास्टर डिग्री सूचना प्रोद्योगिकी शाखा: कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर इंजीनियरी में बी. टैक या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री । **अधिमानता**: (क)राष्ट्रीय या सीमित दिवाला परीक्षा उत्तीर्ण; (ख)आवश्यक अर्हता के मुकाबले उच्चतर अर्हता; (ग) आवश्यक अर्हताओं में से दो या	लागू नहीं होता	नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष

						उससे अधिक; ये किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय या संस्थान से होनी चाहिएं।		

(10)	(11क)	(11ख)	(11ग)	(12)	(13)
(i)**सीधी भर्ती द्वारा:** 75 प्रतिशत; (ii) **प्रतिनियुक्ति द्वारा**: 25 प्रतिशत	लागू नहीं होता	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के ऐसे अधिकारी,- (i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (47600-151100 रु.) में नियमित सेवा की है; **या** (ii)जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा कर ली है; **या** (iii)जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर ली है । **वांछनीय:** दिवाला या शोधन अक्षमता संबंधी मुद्दों के ज्ञान सहित विधि, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकरण या प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव ।	ऐसे अधिकारी, जिनके पास कनिष्ठ प्रबंध ग्रेड के अधिकारी काडर में कम से कम दो वर्ष का अनुभव है। **वांछनीय** **शैक्षिक अर्हता:** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि या वित्त या अर्थशास्त्र या लेखाकरण में विशेषज्ञता सहित कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या दिवाला या शोधन अक्षमता मुद्दों के ज्ञान सहित विधि या वित्त या अर्थशास्त्र या लेखाकरण में स्नातकोत्तर डिग्री	**सीधी भर्ती**: लिखित परीक्षा, जिसके बाद साक्षात्कार या समूह चर्चा । साक्षात्कार या समूह चर्चा ऐसी समिति द्वारा कराई जाएगी जिसमें कार्यपालक निदेशक के रेंक से अन्यून दो अधिकारी और अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट दो बाहरी सदस्य या विशेषज्ञ होंगे **प्रतिनियुक्ति समिति**: इसमें कार्यपालक निदेशक के रेंक से अन्यून दो अधिकारी और अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट दो बाहरी विशेषज्ञ होंगे	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.निजी/ साधारण सहायक(ग्रेड **III**)	02* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	20650-1150(3)-24100-1225(1)-25325-1325(3)-29300-1475(6)-38150-1525(2)-41200-1740(2)-46420-1875(1) (20 वर्ष) रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11क)	(11ख)	(11ग)	(12)	(13)
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति	ग्रेड **II** में कम से कम सात वर्ष की सेवा	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी और कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी,- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित	लागू नहीं होता	**विभागीय प्रोन्नति/चयन समिति (प्रोन्नति/ चयन के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित**	लागू नहीं होता

		आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6(35400-112400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में कम से कम छह वर्ष की नियमित सेवा कर ली है और (ख)जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता धारण किए हुए हैं, अर्थात्:- **आवश्यक**: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री या समतुल्य **वांछनीय:** (i)विनियामक प्राधिकरण या कानूनी निकायों या अन्य सरकारी संस्थाओं से व्यवहार करने का कार्यसाधन अनुभव; (ii) कंप्यूटर का कार्यसाधन ज्ञान; (iii) आशुलिपि और टंकण में कुशलता ।		**होंगे**:- (i) बोर्ड के दो अधिकारी – सदस्य; (ii)अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट दो बाहरी सदस्य - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9. निजी /साधारण सहायक(ग्रेड II)	06* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	13150-750(3)-15400-900(4)-19000-1200(6)-26200-1300(2)-28800-1480(3)-33240-1750(1)-34990 (20 वर्ष) रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11क)	(11ख)	(11ग)	(12)	(13)
प्रोन्नती, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति	ग्रेड I में कम से कम सात वर्ष की सेवा	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी और कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी,- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; **या** (ii)जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5(29200-92300 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा कर ली है और (ख)जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता धारण किए हुए हैं, अर्थात्:- **आवश्यक**: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री या समतुल्य **वांछनीय:** (i)विनियामक प्राधिकरण या कानूनी निकायों या अन्य सरकारी संस्थाओं से व्यवहार करने का कार्यसाधन अनुभव; (ii) कंप्यूटर का कार्यसाधन ज्ञान; (iii) आशुलिपि और टंकण में कुशलता ।	लागू नहीं होता	**विभागीय प्रोन्नति/चयन समिति (प्रोन्नति/ चयन के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे**:- (i) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के दो अधिकारी – सदस्य; (ii)अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट दो बाहरी सदस्य - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.निजी/साधारण सहायक (ग्रेड I)	06* (2022) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	10940-380(4)-12460-440(3)-13780-520(3)-15340-690(2)-16720-860(4)-20160-1180(3)-23700 (20 वर्ष) रु.	चयन	आयु – 18 से 27 वर्ष के बीच	किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से स्नातक या समतुल्य	लागू नहीं होता	नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष

(10)	(11क)	(11ख)	(11ग)	(12)	(13)
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	**सीधी भर्ती**: लिखित परीक्षा, जिसके बाद साक्षात्कार या समूह चर्चा। साक्षात्कार या समूह चर्चा ऐसी समिति द्वारा कराई जाएगी जिसमें कार्यपालक निदेशक के रेंक से अन्यून दो अधिकारी और अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट दो बाहरी विशेषज्ञ होंगे	लागू नहीं होता।

टिप्पण –

1. प्रोन्नति टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों पर, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, ऐसी अपेक्षित अर्हक सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्ति से साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

2. प्रतिनियुक्ति टिप्पण:

(क) पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(ख) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसे अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

3. सीधी भर्ती वाले पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा का संचालन, सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् किसी मान्यताप्राप्त या प्रख्यात और अनुभवी व्यावसायिक एजेंसी को नियोजित करके किया जाएगा।

4. प्रोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में आंतरिक अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में, अगले उच्चतर ग्रेड या पद पर प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता से,वा बोर्ड द्वारा छह मास से अनधिक अवधि के लिए शिथिल की जा सकेगी।

5. अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा का अवधारण करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में उपदर्शित तारीख होगी।

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रदान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में शिथिलता और अन्य रियायतें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या दिशानिर्देशों के निबंधनानुसार लागू होंगी।

7. भर्ती या प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ गठित प्रत्येक चयन या प्रोन्नति समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुचित रैंक का एक अधिकारी, सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा यदि ऐसी समिति का कोई सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है ।

8. प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए, प्रतिनियुक्ति द्वारा या प्रोन्नति द्वारा नियुक्तियों की दशा के सिवाय, अपनी चिकित्सीय उपयुक्तता के संबंध में बोर्ड का समाधान करने के लिए किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी सरकारी उपक्रम के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा जांच कराना आवश्यक होगा ।

9. अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त को, प्रतिनियुक्ति द्वारा या प्रोन्नति द्वारा नियुक्तियों की दशा के सिवाय, बोर्ड द्वारा सत्यापित किया जाएगा और उक्त सत्यापन परिवीक्षा की अवधि के दौरान पूरा किया जाएगा ।"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन III.4/असा./171/2022-23]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 327 में तारीख 24 अगस्त, 2017 को, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.15, तारीख 24 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 118 में तारीख 26 मार्च, 2018 को अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.026, तारीख 26 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा किए गए थे ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2022

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2022

No. IBBI/2022-23/GN/REG090.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 194 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Employees' Service) Regulations, 2017, namely: —

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Employees' Service) Regulations, 2017, for SCHEDULE I the following shall be substituted, namely:—

"**SCHEDULE–I**
(*See* regulation 4)

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Scale of Pay.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Executive Director.	04 (2022)	Not applicable.	Rs.120500 – 3500 (2) – 127500 (3).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation to be made:-			If a Departmental Promotion / Selection Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
	Promotion	Deputation from			
		Government	RBI, Banks, Financial Institution, regulatory bodies, statutory bodies, and Academies		
(10)	(11a)	(11b)	(11c)	(12)	(13)
(i) **by promotion**: 75 per cent. failing which by deputation (including short-term contract); (ii) **by deputation**: 25 per cent.	Officer having three years of service in Grade F.	(a) **Age:** Between forty to fifty-five years. (b) Group A Officers from All India Service or Central Civil Services who have completed minimum eighteen years of service and (i) holding regular post in level 14 (Rs. 144200-218200) in the Pay Matrix; **or** (ii) with six years of service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 13 (Rs. 123100-215900) in the Pay Matrix. **Desirable:** Experience in the field of law, finance, economics, accountancy or administration with knowledge of insolvency or bankruptcy issues.	(a) **Age:** Between forty to fifty-five years. (b) Officers with not less than twenty years of experience in the officer cadre of which minimum fifteen years experience in the field of law, finance, economics, accountancy or administration. **Desirable educational qualification:** Master of Business Administration with specialization in law or finance or economics or accountancy or Post Graduate in law or finance or economics or accountancy from a recognised University or Institution with knowledge of insolvency or bankruptcy issues.	**Departmental Promotion/ Selection Committee (for considering promotion/selection) consisting of :-** (i) Chairperson, Insolvency and Bankruptcy Board of India- Chairman; (ii) Whole Time Member, Insolvency and Bankruptcy Board of India – Member; (iii) Joint Secretary or equivalent, Ministry of Corporate Affairs – Member; (iv) An external expert, nominated by the Chairperson, Insolvency and Bankruptcy Board of India - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. Chief General Manager (Grade F).	04* (2022) *Subject to variation depend on workload.	Not applicable.	Rs.101900-3000(4)-113900(5).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11a)	(11b)	(11c)	(12)	(13)
(i) **by promotion**: 75 per cent. failing which by deputation (including short-term contract); (ii) **by deputation**: 25 per cent.	Officer having three years of service in Grade E.	Group A Officers from All India Service or Central Civil Services,- (i) with three years of regular service in level 13 (Rs. 123100-215900) in the Pay Matrix; **or** (ii) with five years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 12 (Rs. 78800-209200) in the Pay Matrix. **Desirable:** Experience in the field of law, finance, economics, accountancy or administration with knowledge of insolvency or bankruptcy issues.	Officers with not less than seventeen years of experience in officer cadre of which minimum ten years experience in the field of law, finance, economics, accountancy or administration. **Desirable educational qualification:** Master of Business Administration with specialisation in law or finance or economics or accountancy or Post Graduate in law or finance or economics and accountancy from a recognised University or Institution with knowledge of insolvency or bankruptcy issues.	**Departmental Promotion/ Selection Committee (for considering promotion/selection) consisting of :-** (i) Chairperson, Insolvency and Bankruptcy Board of India – Chairman; (ii) Whole Time Member, Insolvency and Bankruptcy Board of India – Member; (iii) Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member; (iv) An external expert, nominated by the Chairperson, Insolvency and Bankruptcy Board of India - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. General Manager (Grade E).	08* (2022) *Subject to variation depend on workload.	Not applicable.	Rs.72800-2250(1)-75050-2400(2)-79850-2500(3)-87350-3000(5)-1 02350(12).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11a)	(11b)	(11c)	(12)	(13)
(i) **by promotion**: 75 per cent. failing which by deputation (including short-term contract); (ii) **by deputation**: 25 per cent.	Officer having three years of service in Grade D.	Group A Officers from All India Service or Central Civil Services,- (i) holding regular post in level 13 (Rs. 123100-215900) in the Pay Matrix; **or** (ii) with three years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 12 (Rs. 78800-209200) in the Pay Matrix. **Desirable:** Experience in the field of law,	Officers with not less than fourteen years of experience in officer cadre of which minimum seven years experience in the field of law, finance, economics, accountancy or administration. **Desirable educational qualification:** Master of Business Administration with specialisation in law or finance or economics or accountancy or Post Graduate in law or finance or economics	**Departmental Promotion/ Selection Committee (for considering promotion/selection) consisting of :-** (i) Chairperson, Insolvency and Bankruptcy Board of India – Chairman; (ii) Whole Time Member, Insolvency and Bankruptcy Board of India – Member; (iii) Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member; (iv) An external expert, nominated by the Chairperson, Insolvency	Not applicable.

		finance, economics, accountancy or administration with knowledge of insolvency or bankruptcy issues.	and accountancy from a recognized University or Institution with knowledge of insolvency or bankruptcy issues.	and Bankruptcy Board of India -Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. Deputy General Manager (Grade D).	04* (2022) *Subject to variation depend on workload.	Not applicable.	Rs. 68500-2150 (2)-72800-2250(6)-86300 (9).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11a)	(11b)	(11c)	(12)	(13)
(i) **by promotion**: 75 per cent. failing which by deputation (including short-term contract); (ii) **by deputation**: 25 per cent.	Officer having three years of service in Grade C.	Group A Officers from All India Service or Central Civil Services,- (i) with regular service in level 12 (Rs. 78800-209200) in the Pay Matrix ; **or** (ii) with three years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 11 (Rs. 67700-208700) in the Pay Matrix . **Desirable:** Experience in the field of law, finance, economics, accountancy or administration with knowledge of insolvency or bankruptcy issues.	Officers with not less than eleven years of experience in officer cadre of which minimum five years experience in the field of law, finance, economics, accountancy or administration. **Desirable educational qualification:** Master of Business Administration with specialisation in law or finance or economics or accountancy or Post Graduate in law or finance or economics and accountancy from a recognised University or Institution with knowledge of insolvency or bankruptcy issues.	**Departmental Promotion/ Selection Committee (for considering promotion/selection) consisting of :-** (i) Two Whole Time Members, Insolvency and Bankruptcy Board of India – Members; (ii) Two external Members/ experts nominated by the Chairperson, Insolvency and Bankruptcy Board of India –Members.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. Assistant General Manager (Grade C).	08* (2022) *Subject to variation depend on workload.	Not applicable.	Rs.49000-1750(3)-54250-1900(2)-58050-2000 (4)-66050-EB-2000(2)-70050-2150(1)-72200(13).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11a)	(11b)	(11c)	(12)	(13)
(i) **by promotion**: 75 per cent. failing which by deputation (including short-term contract); (ii) **by deputation**: 25 per cent.	Officer having three years of service in Grade B.	Group A Officers from All India Service or Central Civil Services,- (i) with regular service in level 11 (Rs. 67700-208700) in the Pay Matrix **or** (ii) with seven years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 10 (Rs. 56100-177500) in the Pay Matrix. **Desirable:** Experience in the field of law, finance, economics, accountancy or administration with knowledge of insolvency or bankruptcy issues.	Officers with not less than eight years of experience in officer cadre of which minimum five years experience in the field of law, finance, economics, accountancy or administration. **Desirable educational qualification:** Master of Business administration with specialisation in law or finance or economics or accountancy or Post Graduate in law or finance or economics and accountancy from a recognized University or Institution with knowledge of insolvency or bankruptcy issues.	**Departmental Promotion/ Selection Committee (for considering promotion/selection) consisting of :-** (i) Two Whole Time Members, Insolvency and Bankruptcy Board of India – Members; (ii) Two external Members/ experts nominated by the Chairperson, Insolvency and Bankruptcy Board of India -Members.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. Manager (Grade B).	13* (2022) *Subject to variation depend on workload.	Not applicable.	Rs.35150-1750(9)-50900-EB-1750(2)-54400-2000(4)-62400(16).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11a)	(11b)	(11c)	(12)	(13)
(i) **by promotion**: 75 per cent. failing which by deputation (including short-term contract); (ii) **by deputation**: 25 per cent.	Officer having three years of service in Grade A.	Officer of the Central Government or State Government or Union Territories, Public Sector Undertaking,- (i) with three years of service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 10 (Rs. 56100-177500) in the Pay Matrix; **or** (ii) with five years of service in the grade rendered after appointment thereto	Officers with not less than four years of experience in officer cadre of Junior Management Grade of which minimum three years experience in the field of law, finance, economics, accountancy or administration. **Desirable educational qualification:** Master of Business Administration with specialisation in law or finance or economics or accountancy or Post Graduate in law or finance or economics and accountancy	**Departmental Promotion/ Selection Committee (for considering promotion/selection) consisting of :-** (i) Two Whole Time Members, Insolvency and Bankruptcy Board of India – Members; (ii) Two external Members/ experts nominated by the Chairperson, Insolvency and Bankruptcy Board of India –Members;	Not applicable.

		on regular basis in level 8 (Rs. 47600-151100) in the Pay Matrix. **Desirable:** Experience in the field of law, finance, economics, accountancy or administration with knowledge of insolvency or bankruptcy issues.	from a recognised University or Institution with knowledge of insolvency or bankruptcy issues.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. Assistant Manager (Grade A).	27* (2022) *Subject to variation depend on workload.	Not applicable.	Rs.28150-1550(4)-34350-1750(7)-46600-EB-1750 (4)-53600-2000(1)-55600 (17).	Selection.	Age between 18 to 30 years.	**Essential:** Chartered Accountant or Company Secretary or Cost Management Accountant or Bachelor of Law or Master of Business Administration with Finance or Masters in Economics or Masters in Commerce Information Technology Discipline: B. Tech in Computer Science or Computer Engineering or Master of Computer Applications. **Preference**: (a) Pass in National or Limited Insolvency Examination; (b) Higher Qualification than Essential Qualification; (c) Two or more of the essential qualifications; These must be from a recognised University or Institution.	Not applicable.	Two years from the date of appointment.

(10)	(11a)	(11b)	(11c)	(12)	(13)
(i) **by direct recruitment**: 75 per cent. (ii) **by deputation**: 25	Not applicable.	Officer of the Central Government or State Government or Union Territories, Public Sector Undertaking,-	Officers with not less than two years of experience in officer cadre or Junior Management Grade.	**Direct Recruitment:** Written examination followed by an interview or group discussion. The interview or group discussion by a committee comprising of two Officers	Not applicable.

per cent.		(i) with regular service in level 10 (Rs. 47600-151100) in the Pay Matrix; **or** (ii) with two years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 8 (Rs. 47600-151100) in the Pay Matrix; **or** (iii) with three years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 7 (Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix. **Desirable:** experience in the field of law, finance, economics, accountancy or administration.	**Desirable educational qualification:** Master of Business Administration with specialisation in law or finance or economics or accountancy or Post Graduate in law or finance or economics and accountancy from a recognised University or Institution with knowledge of insolvency or bankruptcy issues.	of the Board not below the rank of Executive Director and two external Members or experts, nominated by the Chairperson. **Deputation:** Committee comprising of two Officers of the Board not below the rank of Executive Director, and two external experts nominated by the Chairperson.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. Personal / General Assistant (Grade III).	02* (2022) *Subject to variation depend on workload.	Not applicable.	Rs.20650-1150(3)-24100-1225(1)-25325-1325(3)-29300-1475(6)-38150-1525(2)-41200-1740(2)-46420-1875(1) (20 years).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11a)	(11b)	(11c)	(12)	(13)
Promotion failing which by deputation.	Not less than seven years of service in Grade II.	Officer of the Central Government or State Government or Union Territories, or Public Sector Undertaking or autonomous and statutory bodies,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; **or** (ii) with a minimum of six years of regular service, in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix or equivalent and (b) Possessing the following educational qualification, namely:- **Essential**: Graduate degree from a recognised University or Institute or equivalent .	Not applicable.	**Departmental Promotion/Selection Committee (for considering promotion/selection) consisting of :-** (i) two Officers from Board – Members; (ii) two external members nominated by Chairperson, Insolvency and Bankruptcy Board of India – Members.	Not applicable.

		Desirable: (i) working experience in dealing with regulatory authority or statutory bodies or other Government Institutions; (ii) working knowledge of computer; (iii) skill in stenography and typing.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9. Personal / General Assistant (Grade II).	02* (2022) *Subject to variation depend on workload.	Not applicable.	Rs.13150-750(3)-15400-900(4)-19000-1200(6)-26200-1300(2)-28800-1480(3)-33240-1750(1)-34990 (20 years).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable	Not applicable.

(10)	(11a)	(11b)	(11c)	(12)	(13)
Promotion failing which by deputation.	Not less than seven years of service in Grade I.	Officer of Central Government or State Government or Union Territories, or Public Sector Undertaking or autonomous and statutory bodies,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; **or** (ii) with a minimum of four years of regular service, in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 5 (Rs. 29200-92300) in the Pay Matrix or equivalent and (b) Possessing the following educational qualification, namely:- **Essential**: Graduate degree from a recognised University or equivalent . **Desirable:** (i) working experience in dealing with regulatory authority or statutory bodies or other Government Institutions; (ii) working knowledge of computer; (iii) skill in stenography and typing.	Not applicable.	**Departmental Promotion/Selection Committee (for considering promotion/selection) consisting of :-** (i) two Officers from Board – Members; (ii) two external members nominated by Chairperson, Insolvency and Bankruptcy Board of India – Members.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10. Personal / General Assistant (Grade I).	06* (2022) *Subject to variation depend on workload	Not applicable.	Rs.10940-380(4)-12460-440(3)-13780-520(3)-15340-690(2)-16720-860(4)-20160-1180(3)-23700 (20 years).	Selection.	Age between 18 to 27 years.	Graduate from recognised University or Institute or equivalent.	Not applicable.	Two years from the date of appointment.

(10)	(11a)	(11b)	(11c)	(12)	(13)
Direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	**Direct recruitment**: Written examination followed by an interview or group discussion. The interview or group discussion by a committee comprising of two Officers of the Board not below the rank of Executive Director and two external experts, nominated by the Chairperson.	Not applicable.

NOTE -

1. **Promotion Note**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
2. **Deputation Note**:

   (a) The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

   (b) The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. It may be extendable for another two years and the maximum period of deputation shall be as per Department of Personnel and Training Guidelines.
3. For filling up Direct Recruit posts, written examination to be conducted by engaging a recognised or reputed and experienced professional agency after following due procedure.
4. In the event of non-availability of adequate number of internal candidates for promotion, the minimum eligible service for promotion to the next higher grade or post may be relaxed by the Board up to a period not exceeding six months.
5. The crucial date for determining the upper age-limit specified in the Schedule shall be the date indicated in the advertisement.
6. Reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, the other backward classes, Ex-service men and other special categories of persons shall be as applicable in terms of orders or guidelines issued by the Central Government from time to time.
7. In every selection or promotion committee constituted for the purpose of the recruitment or promotion, an officer of appropriate rank belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe may be inducted as a member in case no member of such committee belongs to the Scheduled Caste or the Schedule Tribe.
8. A candidate, except in the case of appointments by deputation or by promotion, will be required to undergo medical tests to satisfy the Board of his medical fitness by a Government Medical Officer or Medical Officer of a Government undertaking authorised by board.
9. The antecedents of a candidate, except in the case of appointments by deputation or by promotion, will be verified by the Board and the said verification shall be completed during the period of probation."

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./171/2022-23]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Employees' Service) Regulations, 2017 were published *vide* notification No. No. IBBI/2017-18/GN/REG15, dated 24th August, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 327 on 24th August, 2017 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2018 published vide notification No. IBBI/2017-18/GN/REG026, dated the 26th March, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 118 on 26th March, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.07.07 18:34:08 +05'30'